

17

20 $\frac{10}{22}$

पत्रावली पेश हुई। लखार कि कोरे
पैरोमा उपर अग्रणी कि तामिल मदम
लौटी है। जिसके पश्चात अग्रणी कि
तलवी हेतु पुनः नोटिस तलबाना पेश
नही किया गया है जबकि नियमानुसार
पुनः नोटिस तलबाना सात दिवस में
पेश करना चाहिए था जो नही किये
जिससे स्पष्ट है कि अग्रणी शिवा मुंडर
9 रूल 5 सी. पी. सी. में दिये निर्देशो




तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नंबर व त
अहकाम जो
की तामील

की पालना नहीं कि गई है। जो
अवहेलना की शर्तों में आता है।

अतः इस आधार पर तहसीलदार
नीमकाथाना (प्राची) द्वारा प्रस्तुत पार्श्व
पर अन्तर्गत नियम 14(4) रा० भू. रा०
अधिनियम का आर्डर 9 R 5 सी.पी.सी.
के तहत खारीज किया जाता है।
पत्रावली फाइल नुमांदा होकर नम्बर
से कम होकर दारिजल दफ्तर में।


(अनिल कुमार)
जतिरिका जिला कलेक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)